

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश
ऑडिट भवन, टी.सी.-35-V-I, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010

सं.प्र.म.ले.(ले.प.-II)/आई.टी.प्रकोष्ठ/EPMS/कार्यालय आदेश/१२-६० दिनांक: 31/07/2025

कार्यालय आदेश

विषय: एंड पॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम (EPMS) सॉफ्टवेयर के इंस्टालेशन के संबंध में।

दिनांक 24.07.2025 को मुख्यालय कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरांत, यह निर्देशित किया जाता है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें कार्यालय से विंडोज आधारित आधिकारिक कंप्यूटर प्राप्त हैं, अनिवार्य रूप से अपने ऐसे सभी कंप्यूटरों पर EPMS सॉफ्टवेयर का इंस्टालेशन दिनांक 31.07.2025 तक सुनिश्चित करें। इंस्टालेशन के उपरांत सम्बन्धित कंप्यूटरों के सीरियल नंबर एवं मैक आईडी की सूचना उचित माध्यम से आईटी प्रकोष्ठ को प्रेषित की करें।

Office Order

Subject: Installation of EPMS Software on Official Windows-Based Computers

In compliance with the instructions received from the Headquarters Office dated 24.07.2025 and with the approval of the Competent Authority, it is hereby directed that all officers/officials who have been issued official Windows-based computers by the office shall mandatorily ensure the installation of *End Point Management System (EPMS)* software on all such computers by 31.07.2025.

After the installation, the *serial number* and *MAC ID* of the respective computers are to be submitted to the IT Cell through the appropriate channel.

Digitally signed by
 Tiwari Arun Prakash Prem
 Date: 31-07-2025
 12:49:40
 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आईटी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1) सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ।
- 2) व.ले.प.अ.(समन्वय)/AMG-I को इस आशय के साथ कि शाखा कार्यालय प्रयागराज के अंतर्गत सभी लैपटॉप/डेस्कटॉप पर EPMS सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा कर सूचना मुख्यालय निर्गत करने का कह करें।
- 3) व.ले.प.अ.AMG-II(समन्वय)/AMG-III(समन्वय)/AMG-IV(समन्वय)/प्रशासन/ सामान्य प्रशासन/ पी.सी./ रिपोर्ट पी.एस.यू./ रिपोर्ट नॉन-पी.एस.यू./आई.टी.ए/कोपू को इस आशय के साथ कि अपने अनुभाग/समन्वय के नियंत्रण अधीन सभी आधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस कार्यालय आदेश को अवलोकित कराने का कह करें।
- 4) सूचना पट्ट एवं कार्यालय वेबसाइट।